# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## पत्रक भाग - एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा    सप्तम सत्र    अंक-03

**रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020**

(भाद्रपद 5, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

### 1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विद्यारतन भसीन अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के स्थान पर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 47 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2019-20 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-19,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 28 मार्च, 2020,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./2020, दिनांक 4 जून, 2020 तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक आर-472/आठ-परि./2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020,

(4) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-24/2019/32, दिनांक 29 अप्रैल, 2020,

(5) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-21/2019/32, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2020,

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तथा

(7) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

**पटल पर रखे ।**

**(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)**

## 3. पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय सभापति ने कथन किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है।

## 4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय सभापति द्वारा मुख्यमंत्री निवास के सामने युवक द्वारा आत्मदाह किये जाने के संबंध में 14 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(12.26.20 से 12.26.40 तक बिजली गुल रही।)

## 5. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल,

अध्यक्ष महोदय ने शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

## 6. ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही

माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके आज की कार्य-सूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा (अनुपस्थित), पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने प्रदेश के गौठानों में मवेशियों की मौतें होने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद (6) का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने बस्तर में हथकरघा बुनकर समितियों की मशीनें एवं भवन जर्जर होने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गुरु रुद्र कुमार, ग्रामोद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) सर्वश्री सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य ने सूरजपुर जिले में स्थित मां महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित द्वारा शक्कर विक्रय की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

**(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)**

## 7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(3) श्री सत्यनारायण शर्मा
(4) श्रीमती इन्दू बंजारे
(5) श्री बघेल लखेश्वर
(6) श्री पुन्नूलाल मोहले
(7) डॉ. विनय जायसवाल
(8) श्री लालजीत सिंह राठिया
(9)श्री संतराम नेताम
(10)श्री रजनीश कुमार सिंह
(11)श्री देवव्रत सिंह

## 8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-20, रामपुर के सदस्य श्री ननकीराम कंवर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-46, भाटापारा के सदस्य श्री शिवरतन शर्मा एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-88, दंतेवाड़ा के सदस्य श्रीमती देवती कर्मा को अगस्त, 2020 सत्र में दिनांक 25 अगस्त, 2020 से दिनांक 28 अगस्त, 2020 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।)

## 9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बघेल लखेश्वर, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन, तथा
(2) डॉ. प्रीतम राम, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति ने समिति का प्रथम प्रतिवेदन,

**प्रस्तुत किये ।**

## 10. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

| **अशासकीय संकल्प क्र.** | **सदस्य का नाम** | **समय** |
|---|---|---|
| (क्रमांक-01) | श्री अजय चन्द्राकर | 01 घंटा 30 मिनट |
| (क्रमांक-03) | श्री शिवरतन शर्मा | 01 घंटा |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 11. समितियों का निर्वाचन

## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए एक स्थान तथा पिछड़े वर्ग से रिक्त हुये दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से निर्वाचन के लिये अग्रसर हों ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि हेतु तीन सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संविक्षा गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को अपराह्न 4.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2020 को सायं 5.00 बजे, तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं ।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्रात: 11 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा ।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

**(2.10 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल।)**

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

## 12. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 58, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर तीन हजार आठ सौ सात करोड़, छियालीस लाख, चौदह हजार, सात सौ चौदह रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री मोहन मरकाम,

**(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, संतराम नेताम, सौरभ सिंह, डॉ. रमन सिंह,

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

श्री देवव्रत सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

**(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)**

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 8 (1) का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

( सायं 6.22.35 से 6.22.39 एवं सायं 6.22.44 से 6.22.56 बजे तक बिजली गुल रही ।)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 13. शासकीय विधि विषयक कार्य

### छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2020 (क्रमांक 28 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

**सायं 06.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020(भाद्रपद-6 शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा